

MOST URGENT
VIDHAN SABHA QUESTION

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
PWD SECRETARIAT: 3rd LEVEL
MSO BUILDING: I P ESTATE
NEW DELHI: 110002

F.No.11(83)/PWD-II/VSQ/St&Unst/VII B.S. 2025/ 324-325

Dated: 26/03/2025

To

The Deputy Secretary(Question Branch)
Delhi Legislative Assembly Secretariat
Question Branch, Old Secretariat,
Delhi-110054.

Sub: Reply of Legislative Assembly (Un-Starred) Question) No.147 raised by Sh. Veer Singh Dhingan, Hon'ble MLA for VIII Legislative Assembly Budget Session due for 27.03.2025.

Sir,

Kindly refer to Dy. Secretary(Q.B) Legislative Assembly Secretariat(Question Branch) letter No. F.11(B-1)/ VIII/2025/VSS/Question Branch/2157 dated 17.03.2025 on the subject cited above.

In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of Reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Encl.: As above

Yours faithfully,



(M.K. Nikhil)

Dy. Secretary (PWD/VS)

F.No.11(83)/PWD-II/VSQ/St&Unst Ques./ 2025/

Dated:

Copy to:

1. Secretary to Hon'ble Minister (PWD), 6th Level, A-Wing, Delhi Sectt., New Delhi for information please.


(M.K. Nikhil)

Dy. Secretary (PWD/VS)

विभाग का नाम: लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता: तीसरा तल, ए-विंग, एम.एस.ओ बिल्डिंग,
आई.टी.ओ. इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या: 147

दिनांक: 27.03.2025

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री वीर सिंह धिंगान

क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क.सं	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि मानसिक रोग अस्पताल (ईहबास) शाहदरा से कुछ मकानों को खतरनाक घोषित कर खाली कराया गया था;	जी हाँ।
ख)	यदि हाँ तो कुल कितने मकानों को खतरनाक घोषित कर खाली कराया गया था;	दिसम्बर 2022 तक IHBAS अपने भवनों एवं मकानों का रखरखाव खुद ही किया करता था। 5 दिसम्बर 2022 को IHBAS एवं PWD के मध्य हुए MoU के पश्चात IHBAS के मकानों एवं भवनों का रखरखाव 2 वर्षों तक (4 दिसम्बर 2024 तक) PWD के द्वारा Deposit Work के आधार पर किया जा रहा था। PWD को प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में 160 मकानों को खतरनाक घोषित कर Demolish करने की अनुशंसा की गई थी, हालांकि इन्हें Demolish करने का कोई अनुरोध लिखित रूप से IHBAS के द्वारा PWD को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।
ग)	क्या यह भी सत्य है कि इन खाली कराए गए खंडहर मकानों को तोड़ कर फिर से यहां आवास बनाने की योजना है;	
घ)	यदि हाँ, तो कब तक; और	
ङ)	नहीं तो इसके क्या कारण हैं?	

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

(एम.के.निखिल)

उप-सचिव (लोक निर्माण विभाग)

उप सचिव (पी डब्लू डी)
दिल्ली सरकार, दिल्ली राधिकालय
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002